<u>ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर की स्थापना के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 26 अप्रैल, 2018 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त:-</u>

उपस्थिति-

1- श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- श्री संतोष यादव, सचिव, आद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- श्री सूर्य पाल गंगवार, विशेष सचिव/निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

समुचित विचार विमर्श के उपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1- ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही सम्पादित करने, एयरपोर्ट के विकासकर्ता का चयन करने तथा परियोजना के सम्बन्ध में भविष्य की प्लानिंग करने आदि विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के उद्देश्य से एक Joint Venture Company का गठन कर लिया जाए।

2- इस हेतु किसी विशेषज्ञ के माध्यम से कम्पनी का उद्देश्य, MoU, JV Agreement, Memorandum and article of association आदि निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

3- Joint Venture Company कम्पनी का शेयर होल्डिंग निम्नवत् निर्धारित किया जा सकता है:-

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार - 37.5%

नोएडा - 37.5%

ग्रेटर नोएडा - 12.5%

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण - 12.5%

4- Joint Venture Company के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित किया जाए-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन - अध्यक्ष

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन।

3- सीईओ नोएडा।

4- सीईओ, ग्रेटर नोएडा।

5- सीईओ, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

6- औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हों।

7- वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हों।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कम्पनी के CEO को नियुक्ति करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का होगा।

6- भूमि अधिग्रहण/क्रय की कार्यवाही Joint Venture Company के नाम की जाए।

7- Joint Venture Company हेतु भूमि दोनों प्रक्रियाओं यथा "भूमि अधिग्रहण" तथा भू-स्वामियों से अपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय" को आवश्यकतानुसार अपनाकर प्राप्त किया जाए।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-47/2018/870/छप्पन-2018-31/16टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4- निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।